राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017

दूरभाष: 0141–2709846 E-mail: rajssaquality@gmail.com

क्रमांक: रा.स्कू.शि.प./जयपुर/गुणवत्ता/रेमेडियल कक्षायें/2018–19 6912 दिनांक: 27/9/18

कक्षा 9 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की विशेष शिक्षण कक्षाओं (Remedial Teaching) के संचालन हेतु दिशा–निर्देश : सत्र 2018–19

सत्र 2018–19 PAB अनुमोदन अनुसार कक्षा 9 में अध्ययनरत 1,12,120 विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता अभिवृद्धि हेतु विशेष शिक्षण (Remedial Teaching) कक्षाएं आयोजित की जानी है। इन विशेष शिक्षण कक्षाओं के आयोजन हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :–

लक्षित समूह :–

- कक्षा 8 वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम के आधार पर C एवं D ग्रेड वाले कक्षा 9 में अध्ययनरत चिह्नित विद्यार्थी।
- केजीबीवी (शारदे) छात्रावासों में रहने वाली कक्षा 9 में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं को विशेष शिक्षण कक्षाओं में शामिल किया जायेगा चाहे वो कक्षा 8 में किसी भी ग्रेड से उत्तीर्ण हो।
- माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां संबंधित विषय अध्यापक के पद रिक्त है।
- एस. सी./एस. टी./बाहुल्य विद्यालय।
- वे विद्यालय जहां 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम निरंतर न्यून रहे हैं।

विशेष शिक्षण कक्षा संचालन :–

(A) **माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाँ विषयाध्यापक कार्यरत है :–**

कक्षा 9 के चयनित विद्यार्थियों को अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान विषयों में आवश्यकतानुसार विशेष शिक्षण कराया जाना है। विषयाध्यापक (अंग्रेजी, गणित, विज्ञान) द्वारा अपने विषय के शिक्षण कालांश में कक्षा 9 में विशेष शिक्षण (उपचारात्मक शिक्षण) हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जावे–

- प्रत्येक पाठ को प्रारम्भ करने से पूर्व उस पाठ को समझने के लिए आवश्यक पूर्व ज्ञान के बिन्दुओं का चयन कर लिया जावे।
- पूर्व ज्ञान के चयन हेतु कक्षा 6 से 8 तक की पाठ्यपुस्तकों का अवलोकन कर शिक्षण योजना बनावें।
- कक्षा 9 में नए अध्याय को शुरू करने से पूर्व प्रारम्भ के दो–तीन दिन (आवश्यकतानुसार) पूर्व ज्ञान से संबंधित विषय–वस्तु का उपचारात्मक शिक्षण कराया जावे।
- इन चयनित बिन्दुओं का विशेष शिक्षण एवं अभ्यास करावें ताकि कक्षा 9 के पाठ को पढ़ते समय विधार्थी सरलता से नवीन ज्ञान से जुड़ सकें।
- विशेष शिक्षण के दौरान डी ग्रेड वाले बच्चों को कक्षा में आगे बैठावें । इस दौरान अन्य बच्चों को अतिरिक्त अभ्यास दिया जा सकता है अथवा उनके लिए भी यह पुनरावृति एवं अभ्यास कार्य हो सकता है।
- डी ग्रेड के बच्चों के समूहों को अभ्यास कराये जाने हेतु अन्य बच्चों का सहयोग लिया जा सकता है जिससे उनके विषय संकल्पना मजबूत होने के साथ–साथ उनकी सहभागिता विधार्थियों को सिखाने में त्वरितता प्रदान करेगी।
- यथा संभव (उपलब्धता के आधार पर) टीएलएम का प्रयोग किया जावें जिसमें सीखना सरल एवं रोचक होगा।
- इन विद्यालयों में विषयाध्यापकों को विशेष शिक्षण हेतु मानदेय देय नहीं होगा। स्टेशनरी हेतु 50 रूपये प्रति विद्यार्थी प्रति विषय देय होंगे।

www.rajteachers.com

(B) केजीबीवी छात्रावास :–

केजीबीवी छात्रावास में कक्षा 9 में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं का विशेष शिक्षण (Remedial Teacher) कराया जायेगा। नोडल छात्रावास की शिक्षिकाओं के अतिरिक्त, बाहरी शिक्षिका से विशेष शिक्षण कराने के निम्नानुसार मानदण्ड होगें –

- शिक्षण कार्य विद्यालय समय से पूर्व अथवा पश्चात छात्रावास में होगा।
- विशेष शिक्षण हेतु प्राथमिकता स्थानीय विद्यालय के विषयाध्यापक (महिला) तथा विषयाध्यापक उपलब्ध ना होने पर स्थानीय स्तर पर योग्य महिला द्वारा विशेष शिक्षण कराया जा सकता है जिनको दो माह हेतु 200 रूपये प्रति विद्यार्थी प्रति विषय शिक्षक मानदेय तथा शेष 50 रूपये प्रति विद्यार्थी प्रति विषय स्टेशनरी हेतु निर्धारित है।
- केजीबीवी छात्रावास में अधिकतम 02 विषयों में 02 माह के लिये (प्रति विषय 60 दिन) विशेष शिक्षण कराया जा सकेगा।

(C) माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाँ विषयाध्यापक कार्यरत नहीं है :–

- जिन विद्यालयों में विषयाध्यापक नहीं है वहां विषय के बी.एड इन्टर्न शिक्षक के माध्यम से शिक्षण कार्य कराया जावे।
- जहॉ बी.एड इन्टर्न भी उपलब्ध नही है वहॉ विशेष शिक्षण हेतु योग्यताधारी व्यक्ति को एसडीएमसी में प्रस्ताव लेकर लगाया जावे।
- ऐसी स्थिति में अधिकतम दो विषयों के लिये शिक्षण कराया जा सकेगा, जिसमें प्रत्येक विषय के लिये दो माह निर्धारित है। दो माह हेतु 200 रूपये प्रति विद्यार्थी प्रति विषय शिक्षक मानदेय तथा शेष 50 रूपये प्रति विद्यार्थी प्रति विषय स्टेशनरी हेतु देय होंगे।
- विशेष शिक्षण कक्षाओं का संचालन विद्यालय संचालन के दौरान विषय कालांश में किया जा सकता है अथवा विद्यालय समय के पूर्व या पश्चात् की स्थिति में एकान्तर क्रम में विषय का शिक्षण किया जायेगा, जिसकी अवधि 50 मिनट होगी।

(D) क्रियान्वयन एवं रिकार्ड संधारण :–

- विशेष कक्षाओं हेतु संस्था प्रधान की देख रेख में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं प्रस्तावित कार्ययोजना अनुरूप शिक्षण योजना की समयबद्ध प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित की जावे।
- विशेष कक्षाओं हेतु शिक्षक द्वारा पाठ योजना अनुरूप तैयारी की जावे व शिक्षण को गतिविधि आधारित, सरल बनाया जावे।
- विशेष शिक्षण के लिये चयनित विषयों हेतु शिक्षण योजना में पाक्षिक टैस्ट आयोजित किये जाये और उपलब्धि स्तर का रिकॉर्ड संधारित किया जावे।
- विशेष शिक्षण कक्षाओं के संदर्भ में विशिष्ट अवलोकन पंजिका संधारित की जावे, जिसमें संस्थाप्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी/एडीपीसी/अन्य आगन्तुक अधिकारी द्वारा विशेष शिक्षण व्यवस्था पर टिप्पणी अंकित की जावे।
- विशेष शिक्षण कक्षाओं की सम्पूर्ण प्रगति का आकलन अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर किया जायेगा।
- सम्पूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के अभिलेखों (रिकॉर्ड) का प्रतिदिन संधारण किया जाये। इस अभिलेख में विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति, दैनिक पाठ योजना, सम्पूर्ण शिक्षण योजना, टैस्ट पेपर, विद्यार्थियों की उपलब्धि आदि होंगी।
- स्थानीय योग्य व्यक्ति द्वारा विशेष शिक्षण कराये जाने के लिये एसडीएमसी में प्रस्ताव लिये जाने के पश्चात् शिक्षण प्रारम्भ किया जावे तथा एक सप्ताह के भीतर जिला परियोजना कार्यालय के माध्यम से निम्नांकित प्रपत्र में परिषद मुख्यालय को सूचना प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। सूचना अप्राप्त की स्थिति में मानदेय की राशि हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी।

www.rajteachers.com

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	ब्लॉक	जिला	विशेष शिक्षण में विद्यार्थियों की संख्या (कक्षा 9 में डी ग्रेड)		विशेष शिक्षण योग्य स्थानीय व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नं.	
				विषय	विषय	विषय	विषय

(E) विशेष शिक्षण हेतु संदर्भ सामग्री –

- विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषय में उपचारात्मक शिक्षण हेतु संदर्भ सामग्री संलग्न की गई है, जिसे विद्यालयों को ई–मेल कराया जावे।
- संस्थाप्रधान द्वारा उक्त सामग्री को विषयाध्यापक को उपलब्ध करावें, जिसे विशेष शिक्षण हेतु आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकेगा।

(F) मॉनिटरिंग :–

- विशेष शिक्षण कक्षाओं की मॉनिटरिंग हेतु सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान की होगी।
- समय–समय पर संस्था प्रधान विशेष शिक्षण कक्षाओं का अवलोकन करें एवं अवलोकन पंजिका में शिक्षण व्यवस्था की वस्तुस्थिति पर टिप्पणी अंकित की जावे।
- जिला स्तर से जिला परियोजना समन्वयक/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक/अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी अभियान चलाकर विशेष शिक्षण कक्षाओं की मॉनिटरिंग करें एवं अवलोकन पंजिका में टिप्पणी अंकित करें।
- विद्यालय अवलोकन के लिए जाने वाले अधिकारियों को विशेष शिक्षण कक्षाओं के अवलोकन का प्रपत्र उपलब्ध करवाकर प्राप्त स्थिति की रिपोर्ट परिषद मुख्यालय भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- जिला एवं राज्य स्तर से की गई मॉनिटरिंग की रिपोर्ट परिषद मुख्यालय में प्रशिक्षण शाखा को प्रेषित की जाये।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(शिवांगी स्वर्णकार)
राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा समस्त संभाग।
7. जिला परियोजना समन्वयक/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समसा, समस्त जिले।
8. कार्यालय प्रति।

राज्य परियोजना निदेशक

www.rajteachers.com